गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 24.04.2015 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 24.04.2015 को दोपहर 01:00 बजे प्रशासनिक भवन में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

01.	प्रो0 एस.पी. सिंह, कुलपति	अध्यक्ष
02.	प्रो0 एस.एस. सिंह	सदस्य
03.	प्रो0 प्रतिभा जे. मिश्रा	सदस्य
04.	प्रो0 एस.के. चतुर्वेदी	सदस्य
05.	प्रो0 व्ही.एस. राठौड	सदस्य
06.	प्रो0 एल.पी. पटैरिया	सदस्य
07.	प्रो0 शैलेन्द्र कुमार	सदस्य
08.	डॉ0 मनीष श्रीवास्तव	सदस्य
09.	डॉ0 भारती अहिरवार	सदस्य
10.	डॉ0 देवेन्द्र कुमार पटेल	सदस्य
11.	डॉ0 प्रवेश दलई	सदस्य
12.	प्रो0 एस.व्ही.एस. चौहान	विशेष आमंत्रित
13.	प्रो0 प्रदीप शुक्ला	विशेष आमंत्रित
14.	प्रो0 ए.एस. रणदिवे	विशेष आमंत्रित
15.	श्री पंकज शंकर श्रीवास्तव	विशेष आमंत्रित
16.	श्री मनीष श्रीवास्तव	विशेष आमंत्रित
17.	श्री आर्यत कुमार खरसकलम	विशेष आमंत्रित
18.	श्री मुकेश कुमार सिंह	विशेष आमंत्रित
19.	श्री राजेश कुमार भूषण	विशेष आमंत्रित
20.	श्री एच.एन. चौबे, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव
21.	श्री सूरज कुमार मेहर, उप-कुलसचिव (अकादमिक)	

बैठक के प्रारंभ में कुलपति जी ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तथा इस सत्र हेतु विश्वविद्यालय में प्राप्त हो रहे प्रवेश आवेदन पत्रों की निरंतर बढ़ती हुई संख्या के संबंध में सदस्यों को अवगत कराया जिस पर प्रसन्नता व्यक्त की गई, तत्पश्चात् बैठक प्रारम्भ हुई।

विषय क0-01. इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी के शिक्षकों को उच्च शिक्षा (पीएच.डी.) हेतु अनुमति प्रदान करने पर विचार।

निर्णय लिया गया कि ऐसे समस्त शिक्षकों के आवेदन/प्रकरणों का पुनरीक्षण हेतु इस आशय के साथ निदेशक, प्रौद्योगिकी संस्थान को वापस किया जाय कि, आवेदक शिक्षकों को उच्च शिक्षा हेतु अनुमति दिये जाने पर संबंधित विभाग का शैक्षणिक कार्य प्रभावित तो नहीं होगा एवं विश्वविद्यालय पर किसी प्रकार की आर्थिक भार नहीं आयेगा तथा इन शिक्षकों की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय को तदर्थ/अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करनी पड़ेगी। उपरोक्त वस्तुस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विभागवार प्रत्येक शिक्षकों के संबंध में स्पष्ट अनुशंसा विश्वविद्यालय प्रशासन को निदेशक प्रौद्योगिकी संस्थान एवं संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा सयुक्त रूप से प्रस्तुत करेंगे।

यह भी निर्णय लिया गया कि निदेशक प्रौद्योगिकी संस्थान एवं संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष की अनुशंसा अनुसार संबंधित शिक्षक को उच्च शिक्षा (पीएच.डी.) हेतु अनुमति देने के लिए कुलपति/अध्यक्ष विद्यापरिषद की स्थायी समिति को अधिकृत किया जाता है। जिसे कार्यपरिषद के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

विषय क्र0-02. **प्री.पीएच.डी. कोर्सवर्क जन्तु विज्ञान की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन हिन्दी में उत्तर लिखेने के कारण न किये जाने संबंधी।**

निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण पर विधिक अभिमत प्राप्त किया जाय।

अध्यक्ष एवं उपस्थित सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक सम्पन्न हुई।

कुलपति/अध्यक्ष **कुलसचिव (कार्यवाहक)**

उप-कुलसचिव (अकादमिक)